

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 2691 / 11-सी-FP/UP/Road/20685/2016, लखनऊ, दिनांक: जून 20, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी०टी० रोड का आन्तरिक भाग के किमी० 161.800 से किमी० 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 है० संरक्षित वनभूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी०/०६/108/2016/एफ०सी०/69, दिनांक- 01.06.2017

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में वांछित सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक-4329/15-1, दिनांक 01.06.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख दो मूल प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक मूल प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (मध्य क्षेत्र) अलीगंज, लखनऊ को संदर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2691 / 11-सी-FP/UP/Road/20685/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, इलाहाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, कौशाम्बी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० कौशाम्बी।

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :- 4329 /15-1, दिनांक, इलाहाबाद, 27-01-2017।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी०टी० रोड का आन्तरिक भाग के किमी० 161.00 से कि०मी० 180 (कोखराज से मनौरी तक) फोर लेन चौड़ीकरण निर्माण में 17.626 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1753 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या- 8बी/06/108/2016 /एफ०सी०/431, दिनांक 18-01-2017 एवं पत्र संख्या- 8बी/06/108 /2016/एफ०सी०/525।

2- आपका पत्रांक 1562/11-सी-/पी०डब्ल्यू०डी०/रोड/20685/2016 दिनांक 27-01-2017 व पत्रांक 1795/11-सी-एफ.पी./यू०पी०/रोड/20685/2016, दिनांक 27-02-2017।

3- इस कार्यालय का पत्रांक 4232/15-1, दिनांक 27-05-2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन विषयगत प्रकरण में आर०ई०सी० की बैठक दिनांक 15-02-2017 के कार्यवृत्त में जारी एजेण्डा बिन्दु की सूचना प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

- 1- बिन्दुवार सूचना में बिन्दु संख्या- 11 सी के अनुसार संशोधन कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का आंकलन वर्तमान मजदूरी दर रू० 174.00 प्रतिदिन के अनुसार तैयार कर प्रेषित किया गया है। जिसकी सम्पूर्ण धनराशि 1,40,90,400.00 है। प्राक्कलन संलग्न है।
- 2- बिन्दु संख्या- 11 डी के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, कौशाम्बी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उनके पत्रांक 1702/5-8, दिनांक 17-03-2017 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(राम कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

संख्या :- 4329 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी को उनको पत्रांक 1702/5-8, दिनांक 17-03-2017 के तदक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राम कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

जनपद कौशांबी में पुरानी जी०टी० रोड के आन्तरिक भाग के किमी० 161.800 से 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) 4लेन मार्ग का निर्माण कार्य से प्रभावित 17.626 हे० हेतु संरक्षित वन भूमि के दुगने 36.00 हे० अवगत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मेजा रेंज की मेजा वन ब्लाक का प्राक्कलन :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अग्रिम मृदाकार्य (वर्ष 2016-17)	प्रति हे०	36.00	51020.00	1836720.00
2	वृक्षारोपण कार्य (वर्ष 2017-18)	प्रति हे०	36.00	95000.00	3420000.00
3	वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वर्ष 2018-19)	प्रति हे०	36.00	39200.00	1411200.00
4	वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (वर्ष 2019-20)	प्रति हे०	36.00	15180.00	546480.00
5	वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष (वर्ष 2020-21)	प्रति हे०	36.00	16700.00	601200.00
6	वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (वर्ष 2021-22)	प्रति हे०	36.00	18370.00	661320.00
7	वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष (वर्ष 2022-23)	प्रति हे०	36.00	20210.00	727560.00
8	वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष (वर्ष 2023-24)	प्रति हे०	36.00	22230.00	800280.00
9	वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष (वर्ष 2024-25)	प्रति हे०	36.00	24450.00	880200.00
10	वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम वर्ष (वर्ष 2025-26)	प्रति हे०	36.00	26900.00	968400.00
11	वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम वर्ष (वर्ष 2026-27)	प्रति हे०	36.00	29590.00	1065240.00
12	वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम वर्ष (वर्ष 2027-28)	प्रति हे०	36.00	32550.00	1171800.00
	योग				14090400.00

व्यय सारांश

क्र० सं०	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०)
1	अग्रिम मृदाकार्य (वर्ष 2016-17)	1836720.00
2	वृक्षारोपण कार्य (वर्ष 2017-18)	3420000.00
3	वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वर्ष 2018-19)	1411200.00
4	वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (वर्ष 2019-20)	546480.00
5	वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष (वर्ष 2020-21)	601200.00
6	वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (वर्ष 2021-22)	661320.00
7	वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष (वर्ष 2022-23)	727560.00
8	वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष (वर्ष 2023-24)	800280.00
9	वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष (वर्ष 2024-25)	880200.00
10	वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम वर्ष (वर्ष 2025-26)	968400.00
11	वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम वर्ष (वर्ष 2026-27)	1065240.00
12	वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम वर्ष (वर्ष 2027-28)	1171800.00
	योग	14090400.00

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
रा०वा०, इलाहाबाद वृत्त

प्रभागीय वनाधिकारी
कौशांबी वन प्रभाग, कौशांबी
कौशांबी